

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक: प 1(2)साप्र/2/2019


जयपुर, दिनांक : 10-07-2019

-: परिपत्र :-

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.35(6)साप्र/2/2006 दिनांक 08.08.2016 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया गया था कि उनके यहां पर जो भी अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, तथा जिनको राजकीय आवास आवंटित है, उनके स्थानांतरण होने पर संबंधित आवास आवंटन अधिकारी को आवंटित आवास संख्या इंगित करते हुए 10 दिवस में कर्मचारी/अधिकारी के स्थानांतरण की सूचना आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, ताकि राजकीय आवास निश्चित समयावधि में रिक्त कराया जा सके एवं अनाधिकृत रूप से निवासरत रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों से पैन्ल रेंट से किराया वसूल करने व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।

आप द्वारा विभाग के उक्त परिपत्र की पालना नहीं की जा रही है। जिससे अनाधिकृत रूप से राजकीय आवासों में निवासरत अधिकारियों/कर्मचारियों से राजकीय आवास रिक्त करवाने एवं पैन्ल रेंट वसूलने की कार्यवाही नहीं हो पा रही है।


अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभाग के उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।


(डी.बी.गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण/शासन सचिवगण।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त कलक्टर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान।

10. जयपुर, त. 9. 4-3


(डॉ राजेश शर्मा)
शासन सचिव

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.1(ए)125/संस्था/बीमा/2019/ 4836-86

दिनांक 25-07-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय/संभाग/साबीयो/जिला कार्यालय राजस्थान को पालनार्थ।
2. सिस्टम एनालिस्ट/संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभाग की वेबसाइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
3. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय/संभाग/साबीयो/जिला कार्यालय राजस्थान को लेख है कि उक्त परिपत्र की प्रति स्वयं के स्तर पर संबंधित कार्मिकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड मुख्यालय।

20
(रामपाल परसोया)
संयुक्त निदेशक(संस्थापन)
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग
मुख्यालय, जयपुर।